संस्थाओं की क्या स्थिति हो गई है। अब चीफ इलैक्शन कमिश्नर अभियोग पत्र तैयार हैं, मैं तो समझता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा जायेगा कि आपने बहुत अच्छी सेवायें की हैं, अब आप पधारो। अब अगर सरकार कहे कि हम तो चाहते हैं कि वह पधारें मगर वह पधारते ही नहीं तो यह स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। उनको जाने के लिए तैयार करियें।

सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ पहले ही मुकदमे की बात हो रही है। अब चीफ इलैक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी मुकदमा, याद रखिये यह देश किसी दिन इस पार्लियामेण्ट के मैम्बरों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाएगा। यह ठीक नहीं है। इसलिए जिन प्रश्नों पर आम सहमति हो सकती है, अभी समय है; आज का वोट तो हो जायेगा, मुझे पता लगा है कि आपने पूरा इन्तजाम कर लिया है लेकिन इसके बाद क्या होगा ? इसके बाद आने वाला कल फिर इन सवालों को हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ा रहेगा और आने वाले कल के सवालों का हम ठीक उत्तर दे सकें इसलिए राजनीति को एक नया रूप, राजनीति की शैली को एक नई शैली देने की जरूरत है और हम इसी को व्यक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आपका धन्यवाद। आपने अध्यक्षीय अभिभाषण के व्यवधान के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, उन पर अमल बेजानी करने की कोशिश की जायेगी।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उनका मैं आभारी हूं, विशेष रूप से श्री विश्वनाथ जी के सर्वोच्च सुदर्शन का और अटल जी के अत्यन्त सौम्य, अत्यन्त मनोरंजक, अत्यन्त निर्देशपूर्ण, कहीं कहीं सकारात्मक और कहीं कम सकारात्मक भाषण का आभारी हूं।

मैंने इस अचानक मोड़ की आशा नहीं की थी कि जिस स्थिति में राष्ट्रीय सर्वसम्मति मांगी जा रही थी, प्राप्त की जा रही थी और सामान्यतः दी जाती थी, उसमें अचानक हमें एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा, एक तनावपूर्ण क्षण, तो सिर्फ इस देश में इस देश की जनता के लिए ही नहीं किन्तु विश्व में देश की छवि की दृष्टि से भी तनावपूर्ण है। यही मेरे लिए अधिक चिंताजनक है, ऐसे समय, जबकि भारत में शुरू की गई सुधार योजना की हर जगह प्रशंसा हो रही है; ऐसे समय जबकि हमें निवेश मिल रहा था, आधार भूत संरचना में निवेश मिल रहा था, जिसकी हमें अत्यन्त आवश्यकता थी, और उसकी गति अत्यन्त तीव्र थी पिछले वर्षों से 14 से 15 गुना तेज, ऐसे समय, इस चर्चा—मुझे यह कहते हुए खेद है—से एक धक्का लगा है या लगेगा। इस नुकसान की भरपाई करने में हमें समय लगेगा। मैं ईमानदारी और स्पष्ट रूप से यह बात कह रहा हूं।

9.00 म० प०

जनता के मस्तिष्क में फिर प्रश्न उठेंगे। हम स्थिति का सामना करेंगे। हम इसे पुनः उचित रास्ते पर लाएंगे। किन्तु; फिर भी यहां हुए घटनाक्रम से मैं थोड़ा दुःखी हूं।

महोदय, 26 या 27 जून को, इस सरकार के पदभार संभालने के तीन या चार दिन पश्चात् मैंने विपक्षी दल के नेताओं की एक बैठक बुलाई। मेरे वित्त मन्त्री ने उनके सामने सारी स्थिति

स्पष्ट कर दी थी। वह स्थिति हमें तीन या चार दिन पूर्व भूतपूर्व सरकार से उत्तराधिकार में मिली थी और चर्चा के अंत में प्रायः सभी का यह मत था कि जो भी करना था वह टाला नहीं जा सकता और इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से उस बैठक के दलों के नेताओं को पुनः स्मरण कराना चाहूंगा इससे मुझे सुधार कार्यक्रम जारी रखने की हिम्मत मिली। और, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सुधार-कार्यक्रम का देश में और बाहर स्वागत हुआ है। मैंने इस सदन में और दूसरे सदन में भी और अन्य जहां कहीं मैंने किसी भी बैठक को संबोधित किया वहां मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं संख्या पर निर्भर नहीं हूं और संख्या से मैं भयभीत नहीं हूं। ना तो मुझे अपनी संख्या पर गर्व है और ना ही संख्या कम हुई तो मुझे इसका कोई भय है। मैंने कहा था कि यदि सदन में मुझे 20 या 30 सीटें अधिक भी मिलतीं, तो भी मैं सर्वसम्मति से कार्य करूंगा क्योंकि मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह समय आ गया है जबकि सिर्फ अधिक संख्या होने से हम आज की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं उसको अब पुनः दोहराता हूं। मैं संख्या पर निर्भर नहीं हूं। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो निश्चय ही संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मेरे वर्षों के काल में संख्या कभी भी इतनी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाएगी किन्तु निश्चय ही इन आठ महीनों में मुझ पर इस सरकार पर यह स्थिति थोपी गई है, यदि आपकी संख्या दो कम हो जाती है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह स्थिति हो जाएगी। किन्तु राजनैतिक व्यग्रता जैसा कुछ होता है। शायद वह हमारे तंत्र में हमारी सोच में समा गया है। इसलिए, मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शायद व्यग्रता जरूरत से अधिक हो गई और आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा, जैसा कि अटल जी ने अभी कहा है कि हमें ऐसी स्थिति में फंसना पड़ा, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो हमें सौंपी गई थी। किन्तु यह कहानी का सिर्फ एक भाग है। मेरा किस्सा यह नहीं है कि मुझे स्थिति में ढकेल दिया गया। नहीं। मेरा किस्सा यह है कि बहुत कम समय के अन्दर ही मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मैं सोचता हूं और मेरा दल भी सोचता है कि हम ठीक वही कर रहे हैं जो हमने अपने चुनाव पत्र में करने का वायदा किया था। इससे कुछ अधिक नहीं कुछ कम नहीं। अतः जो कुछ किया गया है उसके लिए मैं शर्मिन्दा नहीं हूं। जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है उसकी पुनरावृत्ति करने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि यह कांग्रेस दल का जनता से किया हुआ वायदा है और इससे विभिन्न दल भी विभिन्न कोनों से सहमत हैं किन्तु सामान्यतः इस पर राष्ट्रीय सहमति है। स्थिति यह है और मैं संतुष्ट हूं। मैंने कभी भी यह नहीं चाहा कि कोई अन्य दल मुझसे शत प्रतिशत सहमत हो। अन्यथा, दो दल तो होंगे ही नहीं।

विभिन्न दल नहीं होंगे। विचारों में मतभेद, विचारों में विभिन्नता होगी और ऐसा होना जरूरी भी है। मुझे विचारों में अन्तर की परवाह नहीं है। वास्तव में, अपनी नीतियों का ताना-बाना बुनते समय, हमने अन्य दलों के विचारों को भी स्थान दिया है। हमने उन विचारों को भी ध्यान में रखा है, जिन्हें किसी नेता ने किसी स्थान पर कहा है और जिन कार्यक्रम को हमने शुरू किया है, उसमें यह ध्यान रखा गया है कि इन विचारों पर अमल किस प्रकार किया जाए। अतः ऐसी बात नहीं है कि हम अन्य दलों के विचारों से अप्रभावित रहे हों। हमने अपनी नीति से मेल खाने वाले सभी विचारों को शामिल किया है। यदि वह हमारी नीति से ही मेल नहीं खाते थे,

स्वाभाविक है कि हम उन्हें अपनी नीति में शामिल नहीं कर सकते थे। यह स्थिति रही है, यही कार्यप्रणाली रही है। इसकी पृष्ठ भूमि सर्वविदित है।

अटल जी ने कहा, राष्ट्रपति जी को अनेक अभिभाषण तीन अभिभाषणों—को पढ़ने पड़े, जिन्हें, पढ़ने के लिये उन्हें 15 वर्ष लगने चाहिए थे। परन्तु यह मेरा दोष नहीं है। क्योंकि सरकार का कार्यकाल उतना ही रहा है, जितना कि यह था, जिसके कारण उन्हें तीन अभिभाषण पढ़ने पड़े।

हां, भावी पीढ़ी के बारे में, हमें यह निर्णय करना होगा कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है और हमारा यह मूल्यांकन इस देश के लिए सम्पति बन जायेगा, राष्ट्र के लिए तो विचार का विषय बन जायेगा और भावी पीढ़ी के लिए सावधानी पूर्वक, धैयपूर्वक विचार करने का विषय बन जाएगा।

जून, 1991 में हम पुन: सत्ता में आये। मैं जो कहना चाहता हूं, उसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। परन्तु, यदि किसी भी तथ्य पर किसी किस्म का विरोधाभाष है, चूंकि मैं छोटी-से छोटी बारिकी के लिये स्वयं संतुष्ट हूं; तो मैं आपको फाईलें उपलब्ध कराने को तैयार हूं। आप चाहें तो किसी भी गलती का सत्यापन कर सकते हैं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी होगी।

कुछ माननीय सदस्य : किसके बारे में ? (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : फाइलें यहां नहीं लाई जाती हैं। मेरा कहना है कि जो भी तथ्य और आंकड़े मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह पूर्णतया सत्यापित, सही और अनुप्रमाणित हैं।

विदेशी-मुद्रा भण्डार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि पिछली दो सरकारों ने जुलाई, 1990 से जनवरी, 1991 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.4 बिलियन डालर लिया है। उस समय इसे गलत नहीं माना गया। जो कुछ वह वहां से ले सकते थे, उन्होंने लिया। उन्होंने जो राशि ली है वह विभिन्न देशों, सरकारों की राशि है। इसके लिए किसी बड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। हमने उस राशि को लिया है। और प्रथम किशत भी अगली सरकार द्वारा ली गई थी। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं ? आखिरकार, विश्व बैंक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है ? अब यह एक दैत्य के समान प्रतीत होता है जोकि देश से बाहर क्या है। विश्व बैंक भारत मे उतना ही संबंधित है जितना कि हमसे संयुक्त राष्ट्रसंघ। तथ्य यहीं हैं और विश्व बैंक और अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रथम बार ही सम्पर्क नहीं किया गया है, बल्कि इससे पहले भी अनेक बार हमने ऐसा किया है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने विश्व बैंक से सहायता के लिए सम्पर्क न किया हो। जो देश विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं वह भी अब सहायता के लिए विश्वबैंक से सम्पर्क कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ऐसी शर्तों पर नहीं। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : चाहे वह शर्तें कुछ भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के विरुद्ध ऐसा दुराग्रह अथवा पक्षपात अथवा विचारधारा पैदा करना हमारे देश के हित में नहीं है।

हां, 'ब्रेटोनवुड' 'ब्रेटोनवुड' के संस्थान, उनका स्वरूप उनकी कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है जिसे हम पूर्णतया पसन्द नहीं करते हैं। हम गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों ही में इन संस्थानों में सुधार के लिए लगातार, दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। परन्तु यह कहना कि विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना ही देश को बेचना है, यह बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं किसी सरकार और विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने स्वतन्त्रता दिलायी, के विरुद्ध प्रयुक्त की जा रही ऐसी भाषा का विरोध करता हूं। यह बिल्कुल अशोभनीय है। मैं माननीय सदस्यों और विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वह विचार करें कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित हो सकता है उनके हमारे साथ मतभेद हों; उनके विचार अधिक प्रबल हों। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का आह्वान है परन्तु "बेच देंगे" जैसे शब्द न तो उनके लिए उचित है और न ही उनकी पार्टियों के लिए और नहीं इस देश के लिए।

महोदय, करार—विश्व बैंक के करार एग्रीमेंट का अनुच्छेद—पर मेरे पास यह दो पुस्तकें हैं। अनुच्छेद में निम्नानुसार उल्लिखित है :

> "कोष के सामान्य स्रोतों को उचित संरक्षण के अन्तर्गत उन्हें अस्थाई तौर पर उपलब्ध कराकर सदस्य-देशों का विश्वास दिलाना, इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आयामों के विनाशकारी उपायों को प्रयोग किये बिना भुगतान संतुलन में कुप्रबंधों को सही करने के अवसर प्रदान करना।"

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन्हीं सब के लिए बना है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास किस लिए गये ? संक्षिप्त रूप में इसी के लिए गये और इससे अधिक या कम कुछ नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार के अनुच्छेदों के ही अंतर्गत पूर्णतया आता है।

विश्व बैंक के बारे में :

> "निजी निवेशकों द्वारा गारंटियों अथवा ऋणों में भागीदारी और अन्य निवेशों के माध्यम से निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और जब निजी पूंजी वाजिब शर्तों पर उपलब्ध नहीं है, उचित शर्तों पर इस द्वारा विश्व बैंक द्वारा। अन्य स्रोतों से एकत्रित की गई अपने ही पूंजी कोष से उत्पादकीय कार्यों के लिए नीति निवेश की पूर्ति करना।"

विश्व बैंक, ऐसी सहायता के इच्छुक सहायतार्थ आये देशों को राहत प्रदान करने वाली संस्था है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमारे द्वारा ऋण लेने से पहले हुआ है। परन्तु हमने सभी किश्तें नहीं ली हैं। हमने एक अथवा दो किश्तें ली हैं और जब अन्तिम किश्त लेनी थी, तो हमारी स्थिति सुधर गई, और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री होने के नाते, कहा, "मुझे अन्तिम किश्त लेने की जरूरत नहीं है; मैं अन्तिम किश्त नहीं लूंगी और इसे छोड़ दूंगी।" यह हम पर निर्भर है कि हम इसे लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह उपलब्ध है। क्या श्री विश्वनाथ ने अपनी सरकार को यह ऋण मांगने की स्थिति में रहने दिया ? मुद्दा यह है। इसे प्राप्त करके, उसने इसे उपयोग किया अथवा नहीं, यह बिल्कुल भिन्न सवाल है।

महोदय, यह जानना बहुत रुचिकर है कि कभी-कभी वाकपटुता द्वारा हमें कैसे दूर ढकेल दिया जाता है। श्री विश्वनाथ के सब प्रयासों के बावजूद भी भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरी नहीं। निःसंदेह, यह हमारा दोष नहीं है; वह जो कुछ करना चाहते थे, उन्होंने वह करना जारी नहीं रखा।

विश्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1991 में एड् इण्डिया कानसोरिटियम की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ही से विचार विमर्श किया गया था। विचार विमर्श प्रतिवेदन में जब तक मूल सुधार नहीं कर लिये जाते सहायता कोई भी नया वायदा न किये जाने के बारे में उसमें उल्लेख था। और कोई हल नहीं था। विश्व बैंक के पास जाने वाले और बातचीत करने वाले प्राधिकारी श्री विश्वनाथ जी को स्मरण होना यद्यपि उनके उन हस्ताक्षरों का कोई महत्व नहीं है; जो उन्होंने प्रधानमन्त्री होने के नाते किये थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : शर्तों के प्रश्न के बारे में यह सर्वविदित है कि दो-तीन प्रकार की निधियां उपलब्ध है। एक तो देश की अपनी ही जमा निधि होती है। एक देश बिना किसी शर्त के इसमें से राशि ले सकता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है; यह आपका अपना पैसा है। एक और माध्यम है जिससे आपको इससे कम पैसा मिलता है; परन्तु इसको प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं है। जब खाड़ी संकट के दौरान, यही सुविधा बिना शर्तों के उपलब्ध थीं। हम शर्तों से सहमत नहीं थे। अब दोनों को आपस में मिलाकर मामला प्रस्तुत करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सही नहीं है। यह सत्यापन पर आधारित है। मैं सहमत हूं कि अपने ही पैसे के लिए शर्तों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप इसे कभी भी ले सकते हैं। आप परिस्थितियों से इस हद तक घबराये हुए थे कि आपको इसे प्रथम स्थान पर लाना पड़ा और आपने द्वितीय साख को भी प्राधिकृत कर दिया। बातचीत आपके समय में शुरू हुई थी। मैं सहमत हूं, कि बातचीत के सिलसिले को जारी रखने के लिए आप वहां नहीं थे। इसमें यहीं सब कुछ था। मैं आपको केवल तथ्य और आंकड़े बता रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खाड़ी संकट के दौरान खनिज तेल के मूल्यों में अचानक वृद्धि हो गई थी और देश को इसे वहन करना पड़ा था। ये तेल मूल्य शर्तों के बगैर उपलब्ध थे। यही वजह थी। इन शर्तों के सामने झुकने का प्रश्न ही नहीं था। यही मुद्दा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपको सारे विवरण दे सकता हूं। मैं आपको और अधिक विवरण दे सकता हूं। यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मन्त्री इस बारे में और विवरण देंगे: लेकिन तथ्य यह है कि मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह मुद्दा है। मैं विश्वनाथ जी या उनके बाद आने वाली श्री चन्द्रशेखर की सरकार पर या किसी भी पूर्व सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा।

मैं यह कह रहा हूं कि देश के सम्मुख स्थिति में हमें, उन्हें या उनके बाद आने वाली सरकार को, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मात्र यही कह रहा हूं।

मैं चन्द्रशेखर सरकार में तत्कालीन वित्त मन्त्री के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं जो उन्होंने किसी अन्य स्थान पर नहीं बल्कि संसद में दिया था। उन्होंने कहा था कि —

श्री वसुदेव आचार्य : आपकी पार्टी ने इसे समर्थन दिया था। आपने उस सरकार के गठन में सहायता दी थी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं समझता हूं कि वे सही बात सुनने के मूड में नहीं हैं। मैं मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री वसुदेव आचार्य : यह सच है। आप इसे स्वीकार करते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : " आज आसान विकल्प उपलब्ध नहीं है। अब यह हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम आवश्यक वृद्ध आर्थिक समायोजन करना शुरू करें। हमें यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अनेक वर्षों के दौरान जुड़े आर्थिक असंतुलन को एक ही कार्यवाही से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि हम सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करें। इसके अन्तर्गत भी कठोर निर्णय और कठिन उपाय ही करने पड़ेंगे। अगर हमें देश के आर्थिक सुधार को पुनः कायम रखना है तो हमें वास्तविकता की उपेक्षा करने की बजाय इसका सामना करना चाहिए। हम इस सन्दर्भ में आर्थिक संगठन को अत्यधिक वरीयता देते है। इस प्रकार फिजूलखर्ची न करना सरकार के लिए न सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष बल्कि 1991-92 और बाद में भी मुख्य उद्देश्य होगा। सरकार अगले वित्तीय वर्ष से आर्थिक सुधार और संगठन की प्रक्रिया को जारी रखेगी। हमें आशा है कि हम केन्द्र सरकार का बजट घाटा काफी हद तक कम कर देंगे ..." और यहां पर यह जादूई आंकड़ा है।

"काफी हद तक, ताकि यह 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.5% हो।' यही आंकड़ा डा० मनमोहन सिंह ने लिया था।

"इस प्रकार की कमी तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक वहनीय आर्थिक शासन में हमारे परिवर्तन की शुरूआत होगी जिसमें 70 के दशक में मध्य की तरह आर्थिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन से चार प्रतिशत के बीच लौट आए। इस उद्देश्य हेतु सरकार व्यय पर सख्त नियन्त्रण रखेगी और राजसहायता को तर्कसंगत बनाएगी ताकि इनका उपयोग गरीबों के लिए हो....."

> "इसके साथ ही सरकार अपेक्षित बजट घाटे के कम करने के लिए राजस्व प्राप्ति और राजस्व और व्यय उपायों के समन्वय को सुधारेगी। इस संबंध में निकट भविष्य में योजना बनाई जाएगी और उसे आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा"।

लेकिन 'निकट भविष्य में' सरकार ही बदल गई। यह स्थिति है। इसलिए इस कार्य में निरन्तरता है।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम ऐसी स्थिति में थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था; हमें वहां जाना पड़ा। एक समूह था, इस समूह ने कहा' "खेद है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे, आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आप हमारी अदायगी को वापस नहीं दे सकेंगे। इसलिए कृपया हमसे कुछ भी मत मांगिए"। यह स्थिति थी।

महोदय वित्त मन्त्री द्वारा लिखे पत्र में भी यही बात कही गई है। मैं इस पत्र में से नहीं पढ़ना चाहता; लेकिन इस पत्र का उद्देश्य यह है कि इस पर निगरानी रखी जाएगी क्योंकि जब तक ऋणदाता ऋण देता है चाहे वह भारत में एक सहकारी बैंक हो या अन्य बैंक हो और यदि आप मात्र एक भैंस खरीदने के लिए ऋण देते हैं तो कोई व्यक्ति होता है जो यह देखता है कि भैंस है या कोई अन्य पशु भैंस के नाम पर खड़ा कर दिया गया है, महोदय यह सामान्य प्रक्रिया है।

कोई भी व्यक्ति जो एक बैंक चलाता है और विशेषकर ग्रामीणों के लिए ऐसा करता है तो वह जानता है कि इस कार्य के विकास के पहलू पर गौर करने के लिए भी कोई है क्या यह धनराशि उचित रूप में उपयोग की जा रही है, क्या ऐसी योजना है जिसके द्वारा ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण लौटा भी सकेगा या नहीं। एक बैंक को सरकार के आदेशानुसार बैंक के रूप कार्य करना होता है एक दान देने वाले निकाय के रूप में नहीं। इसी वजह से कुछ पार्टियां ऐसे बैंक बनाना चाहती थी (व्यवधान) इसी के कारण इस समस्या का एक भाग उत्पन्न होता है। (व्यवधान) सरकार ने प्रथम ऋण किश्त में अतिरिक्त व्यवस्था के लिए भी अनुरोध किया था, इसके तहत मार्च, 91 के अन्त तक कीअवधि थी।

आर्थिक घाटे में सुधार लाने और भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए प्रगति हुई है। हम इस समर्थन को और बढ़ाना चाहते हैं इसलिए और अधिक समर्थन चाहते हैं। सहायता प्राप्त करने और ऋण प्राप्त करने के लिए सभी निर्णय और सभी इच्छाएं एक समान थी। ऐसा नहीं है कि कोई नया निर्णय लिया गया है। यह इस मामले का एक भाग है।

दूसरा भाग यह है कि हमें यह स्थिति विरासत में मिली है और मैं कहूंगा कि हम एक दम सही कार्य करना चाहते थे और हमने यही किया है। अगर मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं होता कि हमें क्या करना है तो मैं ऐसा नहीं करता। यह सरकार ऐसा नहीं करती।

जैसा कि मैंने कहा है जो प्रस्ताव किया गया था वह उसी के अनुरूप था जिसका हमने लोगों को वायदा किया था और इसलिए हमने इसे स्वीकार का लिया। इसे स्वीकारने का वास्तविक तर्क यही है। अब अगर यह चुनाव घोषणा पत्र अथवा इसमें निहित हमारी बातों पर लोग, कुछ पार्टियां सहमत नहीं होंगी तो सारा देश इस पर फैसला देगा। (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : आपने अनेक अन्य मुद्दों पर भी वादा किया था जैसे मूल्यों में सौ दिन के अन्दर कमी लाई जाएगी। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां। हमने अनेक वायदे किये हैं और हम अनेक कार्य कर रहे हैं। हम कुछ में सफल रहे हैं और कुछ में नहीं। लोग पांच वर्ष के बाद हमें अपना फैसला देंगे। वे हमसे किए गए कार्यों का ब्यौरा लेंगे, कृपया इसकी चिन्ता मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आपने वायदा किया था कि आप सौ दिन में मूल्य कम कर देंगे। इस बारे में क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सरकार जनता के प्रति पूर्णतया जवाबदेह होगी, जो इसे सत्ता में लाई है। पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद इसके कार्य निस्पादन के कारण ऐसा हुआ है किसी

बहानेबाजी के कारण ऐसा नहीं हुआ है। हम इसे करेंगे। (व्यवधान) मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम अपने वायदों पर कायम है। वास्तव में हमने लोगों को एक वादा किया था जिसके लिए चार वर्ष का समय निर्धारित था। हमें यह चार वर्षों में करना चाहिए था। हमने यह कार्य अर्थात नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चार महीनों में ही लागू करना शुरू कर दिया है। हमने पाया कि यह इतना अनिवार्य है कि चार वर्ष इन्तजार करने की बजाय इस कार्य को इसी वर्ष लिया जाए। मैं इस पर बाद में बोलूंगा। (व्यवधान)

इसलिए, देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को अस्त व्यस्त करना पूर्णतया अप्रासंगिक है। यह मुद्दा नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूर्णतया यह कहना चाहूंगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को किसी भी प्रकार हमारे द्वारा प्रभावित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

लेकिन प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि संकट के समय में कुछ भी ना किया जाए। प्रभुसत्ता के अन्तर्गत अपनी नीतियों पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण रखना होता है। विश्व बैंक ने यह नहीं कहा कि मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कुछ भी करूं। विश्व बैंक ने गरीबी के खिलाफ कार्यक्रमों के बारे में कुछ नहीं कहा। यदि विश्व बैंक कल यह कहे कि आपको ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने तो मैं कहूंगा कि मुझे अफसोस है, आप इसे पसन्द करें या न करें हम इन कार्यक्रमों को लागू करूंगा। इस प्रकार विश्व बैंक किसी भी सीमा तक मेरी आन्तरिक नीति, आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। निश्चित रूप से विश्व बैंक की अपनी कुछ शर्तें हो सकती है। अगर मुझे ये शर्तें उपयुक्त लगती हैं केवल तब ही मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। अगर ये शर्तें हमारे लिए अनुपयुक्त हैं, हमारी नीति के विरुद्ध हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा है वह अर्थपूर्ण है। (व्यवधान) मैं यह नहीं मानता कि विश्व की जो स्थिति आज है वह मेरे या किसी के विचार से असीमित पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस पर प्रस्ताव के रूप में सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि इसका देश के कार्यक्रम के तौर पर कोई संबंध है। गरीबों के हितों संबंधी कार्यक्रम के बारे में हमें विचार करना चाहिये। देश में व्याप्त व्यापक गरीबी जिससे देश पीड़ित है उसे देखना होगा। विश्व में दो तीन देश ऐसे हैं जिनकी समस्या एक ही तरह की है। चीन की भी ऐसी ही समस्या है। हमारी कुछ कठिनाईयां हैं। ब्राजील जैसे देश के साथ भी कुछ कठिनाईयां हैं और देश में पूर्ण पूंजीवाद के आने से हमारे इन कठिनाईयों का निदान नहीं हो सकता। इसका हमें पूरा यकीन है। इसलिए हमें एक तीसरा रास्ता खोजना होगा। तीसरा मार्ग यह है कि जब हम उदार अर्थव्यवस्था को अपना ले और जब विश्व अर्थव्यवस्था के भाग बन जाए तब तक हम विश्व अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें अपने कार्यक्रम को पूरी तरह किसी अन्य प्रभावों से बचाए रखना होगा चूंकि यह हमारी जनता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा हमारा मानना है। इस प्रकार इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आयेगा। हमने सोच समझकर गरीबों के लिए देश में जो भी कार्यक्रम हैं उसे बजट में शामिल किया है। हमारे कार्यक्रमों में कुछ कटौती भी की गई है जो सामान्य है।

यदि हमारे पास पैसे नहीं हों तो यहां-वहां कहीं थोड़ी और कहीं अधिक कटौती करनी ही पड़ती है। लेकिन हमने दूसरी तरह से भी उस कटौती को पूरा करने का प्रयास किया है। डा०

मनमोहन सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि जो 500 करोड़ रुपये की कटौती ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में की गई है उससे अधिक धन नेशनलट्रिन्यूअल फंड से लेकर केवल गांवों में रोजगार कार्यक्रमों पर लगाया जाना है। (व्यवधान) वास्तव में इसमें सुधार किया गया है। (व्यवधान) या तो आप मुझे बोलने दें या आप कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। जिन लोगों के पास न तो विचार है और न कोई मुद्दा वे पुनः ऐसा ही करेंगे।

[संस्कृत]

'शेषम् कूपे न पूरयेत।'

[अनुवाद]

यही कहना है। इसलिये महोदय, यह जो एक यह मुख्त कार्यक्रम है यह बेहतर है, क्योंकि यदि ग्रामीण विकास के लिये सामान्य तौर पर हम 500 करोड़ दे देते तो उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग हो जाता। अब यह 500 करोड़ रुपया या 800 करोड़ रुपया उससे कुछ अधिक रुपया विशेष रूप से रोजगार पैदा करने के कार्यक्रम पर लगाया जायेगा और इसकी मुझे प्रसन्नता है। उसी कार्य के लिए यह राशि निर्धारित की जाती थी क्योंकि इसकी आज आवश्यकता है और हम इस पर ध्यान देंगे कि उक्त राशि का इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जायगा।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, यह गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सच है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य असन्तोषजनक है क्योंकि इसे केन्द्र सरकार नहीं चलाती है। यह बहुत स्पष्ट है और किसी को भी यह मालूम होना चाहिये कि राज्य और केन्द्र स्तर पर जो सरकारें हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्र सरकार आंशिक रूप से चलाती है। उसके अतिरिक्त सारे कार्यों के लिए इसे राज्य सरकार के तंत्र पर निर्भर करना होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम या तो उचित दर की दुकानों की व्यवस्था कर सकते या उसके कार्यकरण की देखरेख कर सकते हैं। इसे राज्य सरकार की व्यवस्था द्वारा चलाया जाना है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा की गई तो सभी दलों के मुख्यमन्त्रियों ने इसमें सुधार करने के लिए सहयोग की अपनी इच्छा व्यक्त की और इसका पूरा लाभ लेते हुए मैंने राजस्थान जाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया यह मैंने आन्ध्र प्रदेश या कर्नाटक में नहीं किया क्योंकि वास्तव में यह कोई दलगत मुद्दा नहीं था। मैंने सबसे पिछड़े क्षेत्र को चुनने का इरादा किया और वहां गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद वह स्वयं कई जिलों में गये और पाया कि कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने और लागू किये जाने के बाद यह अच्छी तरह कार्य कर रहा है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत खामी रह गई होगी। उन खामियों पर हम किसी भी समय विचार करने के लिये तैयार हैं क्योंकि इतना विशाल और व्यापक कार्यक्रम पूरी तरह त्रुटिविहीन नहीं हो सकता। यदि कोई खामी है तो हमें जो भी करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे और जो उन्हें करने के लिये है उसे वे करेंगे। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को एक साथ मिलकर सुचारु रूप से और पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करना होगा। और ऐसा ही होना चाहिये। आने वाले समय में यह गांवों में वास्तविक रूप में आर्थिक केन्द्र होगा।

केवल चावल और गेहूं ही नहीं बल्कि जो भी खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं हम उपलब्ध कराते हैं हमने वहां उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं के साथ जोड़ दी हैं। राज्य सरकारें उत्पादकों और निर्माताओं से बातचीत कर रही है कि दियासलाई, नमक जैसी वस्तु प्रचुर मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराई जाएं और वहां से दुकानों को वितरित की जाएंगी। महोदय, यह अति साधारण कार्यक्रम है। यह कोई जोरदार कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह कार्यक्रम आने वाले कल के लिये है जिस पर देश की पूरी आर्थिक क्रियाकलाप टिकी होगी। हमने विशेष कस्बों में 1700 दुकानों को चुना है। मैं नहीं जानता कि सदस्यों में यह जानने का प्रयास किया है या नहीं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कितने ब्लाक इसमें शामिल किये गये हैं। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन कि वह इसकी जानकारी ले, उन दुकानों पर जाएं और यह देखें कि वे अच्छी तरह कार्य कर रही हैं या नहीं। यदि वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो पता लगाये कि इसका क्या कारण है। यह सभी सदस्यों का कर्त्तव्य है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : हमारे बनासकांठा में फेमीन है फिर भी अनाज नहीं मिलता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस वर्ष हमने चार मिलियन टन अधिक खाद्यान्न जारी किया है फिर भी स्टाक की कमी है। हमें आयात करना पड़ता है। ऐसा वर्षों से होता आया है। हमने आयात और निर्यात किये हैं। लेकिन निर्यात के कारण भी यहां सुसंगत है। जब 1990 में दस लाख टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय लिया गया था तो उस समय ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पास अनाज का अपार भंडार था बल्कि हमें किसी भी तरह विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी थी। अब इस तरह की स्थितियों से हमें बचना होगा। हमें अपना भंडार खाली नहीं करना चाहिये, हमें किसी भी स्थिति में अपने अतिरिक्त भंडार को खाली नहीं होने देना है और यह पाठ हमने विगत दो-तीन वर्षों में सीखा है। इसे हमें नीति के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी इस नीति पर दृढ़ रहना चाहिये। खाद्यान्न के मामले में जो भी हो हमें किसी भी संकट में नहीं पड़ना चाहिए और मेरा यह कहना है कि इस सरकार की भी यही नीति रहेगी।

महोदय, औद्योगिक मुद्दे पर मैंने पहले ही संसद में प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यह जोर दिया गया है कि निवेश की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है और विगत कुछ महीनों में, चार या पांच महीनों में जब से नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी मिली है। 1000 करोड़ रुपये के लगभग निवेश हुआ है। एक प्रश्न के उत्तर के दौरान मैंने यह भी कहा था कि निवेश का यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपया से 2000 करोड़ रुपया तक अगले एक सप्ताह या कुछ सप्ताहों के अन्दर पहुंच जाएगा। यह सब हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए और सामान्य रूप से देश के विकास के लिये अत्यन्त जरूरी है क्योंकि इस निवेश की 80 प्रतिशत राशि हमें मूलभूत क्षेत्रों में प्राप्त हो रही है। यह कोई अनावश्यक चीज नहीं है। यह हमारे देश के लिए अति आवश्यक है— जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि यदि हम अपने संसाधनों पर ही निर्भर रहे तो इस तरह का निवेश कर पाना हमारे लिये अगले 20 वर्षों तक असम्भव होगा। विद्युत और

दूर्वरक क्षेत्र तथा सभी मूलभूत क्षेत्रों की इस निवेश से लाभ मिल रहा है और इसकी मुझे खुशी है। और महोदय, आठवीं योजना के लिए जो हमने योजनाएं बनाई है यदि वह सफल होती हैं और मैं आशा करता हूं कि वे सफल होंगी, परन्तु उन पर विदेशों से राशि प्राप्त किये बिना कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। इस योजना को पूरा करने के लिये विदेशों से निवेश प्राप्त करना होता है और हमारे संसाधनों से जो भी राशि प्राप्त होगी वह गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों में चली जाएंगी। इस तरह की रोक लगाने का हमने प्रयास किया है और इस संबंध में हमने निर्णय भी लिये हैं। हमने योजना आयोग से कहा है कि इस तरह योजनाबद्ध तरीके से हमें प्रतिबन्ध लागू करना है।

रोजगार के मुद्दे पर भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई है। कुछ सदस्यों का यह कहना है कि रोजगार के लिये हमने जो भी वादे किये वे सभी ठीक नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शांत रहेंगे।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय, रेल मन्त्री ने यह घोषणा की है। कि 6000 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यह हिसाब लगाया गया है····

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : विद्युत चालित इन्जनों के बारे में क्या किया जाएगा? भेल (बी० एच० इ० एल०) ने आपूर्ति करने की पेशकश की है। क्या आप यह उपलब्ध कराने जा रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री पी०वी० नरसिंह राव : प्रत्येक किलोमीटर में 1800 से 2000 कार्य दिवस की रोजगार सम्भावना उत्पन्न करने का हिसाब लगाया गया है। इस हिसाब से 6000 किलोमीटर के लिये रोजगार सम्भावना कितनी होगी आप हिसाब लगा सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : नई रेल लाइन के बिछाने के बारे में क्या किया जा रहा है?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : एक मात्र कठिनाई यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हम कुछ भी पढ़ते नहीं हैं।

योजना आयोग ने हमें रोजगार के आंकड़े दिये हैं : कृषि—4·16 मिलियन, खनन और खदान कार्य—0.13 मिलियन, विनिर्माण कार्य – 1.36 मिलियन, निर्माण कार्य—.59 मिलियन, विद्युत—.03 मिलियन परिवहन और संचार—.28 मिलियन और अन्य सेवाएं 8 89 मिलियन प्रतिवर्ष। चुनाव घोषणापत्र में हमने यही वायदा किये हैं, इसके अतिरिक्त, वृक्षरोपण और बंजर-भूमि विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कल्पना की जा सकती है कि इन कार्यक्रमों का सम्मिलित प्रभाव हमारे जनता से किए गए वायदों से कम नहीं हो सकता और इसे पूरा किया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह उपयोगी नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। देश के द्रुत औद्योगिकीकरण के संदर्भ में ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर देने होंगे। मैं किसी माननीय सदस्य या अर्थशास्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। देश के द्रुत औद्योगिकीकरण के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य रास्ता नहीं दिखाई देता।

कृषि क्षेत्र में, स्वरोजगार के लिए जो भी संभव होगा वह किया जायेगा किन्तु साथ-साथ उस देश में रोजगार के अवसर जुटाने का एकमात्र उपाय औद्योगिकीकरण ही है। अतः उसका निर्णय तो लिया गया है।

महोदय, अटलजी ने शिक्षा के बारे में एक कटु टिप्पणी की है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो भी कहा गया है, वह हमें कुछ प्रोत्साहन देता है। वास्तव में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह बताए जाने पर कि साक्षरता क्षेत्र में हमने सफलता प्राप्त की है। उन्हें प्रोत्साहित होना चाहिए और गौरवान्वित महसूस करना चाहिए ?

यह कहा गया था कि इस शताब्दी के अंत तक भारत में अशिक्षितों की संख्या सर्वाधिक होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ऐसा लगता है भारत इस स्थिति से बच जाएगा। उन्होंने जिस एक तथ्य का उल्लेख किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूं। बालिकाओं में साक्षरता बढ़ रही है यह उत्तरी राज्यों में बढ़ रही है। केरल में नहीं। केरल में बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि यह पहले ही पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर चुका है। यह उत्तरी राज्यों में बढ़ रही है। साक्षरता कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश ने उत्तम कार्य किया है। दूसरे राज्य भी आगे आ रहे हैं। अतः, इस शताब्दी के अन्त तक भावी भारतीय नागरिक को इस धर्म से अपना सिर नहीं झुकाना पड़ेगा कि इस देश में सर्वाधिक अशिक्षित रहते हैं। इसमें जिन कार्यक्रमों का उल्लेख है उन पर निश्चय ही हम गर्व कर सकते हैं और मैं किसी पैरा का महत्त्व उसकी लम्बाई से नहीं आंकूंगा।

महोदय, अब अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम को लीजिए। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कई कट तथा अन्य टिप्पणियां की गई है. महोदय, मैं सदन में घोषणा करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक आयोग को इसी सत्र में वैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। पूरी तैयारी है और मुझे विश्वास है कि, हम यह करने में सफल होंगे ? यह मांग काफी समय से चली आ रही है। यह प्रस्ताव काफी समय से है। हमने इसे मान लिया है। हम इसे पूरा करना चाहते हैं। और हम इसी सत्र में पूरा करना चाहते हैं।

इस सदन में कई अवसरों पर कतिपय विदेश नीति के कतिपत पहलुओं की व्याख्या की है। सिर्फ एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है जिस पर मतभेद है। और वह है इजराइल के साथ राजनायिक संबंध। महोदय, जब हम इजराइल को मान्यता देने की बात करते हैं। तो मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य वास्तव में क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इजराइल मान्यता प्राप्त देश है। बहुत समय पूर्व जब पण्डित जी जीवित थे। तभी हमने इसे मान्यता दे दी थी। हमने यह किया है कि, हमने राजनायिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुम्बई में एक वाणिज्य दूतावास पहले ही है।

आज, स्थिति यह है कि फिलिस्तीनियों द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्ति के संघर्ष में मध्य-पूर्व में में शांति स्थापित करके घटनाक्रम में भारत की भागीदारी पहले की अपेक्षा काफी महत्त्वपूर्ण हो गई है। मैं वैयक्तिक चर्चा इत्यादि नहीं करना चाहता। किन्तु पूरी जिम्मेदारी की भावना से मैं कहूंगा कि यह निर्णय मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने में घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। हम दो वर्ष, चार वर्ष और प्रतिक्षा कर सकते थे। मुश्किल सिर्फ यही थी कि सारे विश्व में सिर्फ हमारा ही देश अकेला पड़ जाता। उस प्रकार से अलग-अलग पड़ जाना हमें स्वीकार नहीं था।

और इसके साथ ही आप मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने के घटनाक्रम में भारत की जो भूमिका होगी; आप देखेंगे । किसी अवसर पर माननीय सदस्य यह निर्णय लेने पर मुझे बधाई देंगे ।

इस तथ्य के बावजूद कि हमने जो किया है हम उसे बिलकुल उचित मानते हैं । आज जो मतभेद विद्यमान है, हो सकता है कि मित्रों के दिमागों में कुछ संशय है । कुछ मित्रों ने मुझ पर इन संशयों को व्यक्त किया । इन संशयों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं उन्हें सिर्फ यह आश्वासन देता हूं कि ये सशय आधारहीन है । फिलिस्तीनियों के उद्देश्य का उतना ही समर्थन करते हैं जितना कि पहले करते थे और भारत द्वारा लिए गए निर्णय से यह उद्देश्य भली-भांति पूरा होगा और शायद अन्यथा इतनी अच्छी तरह पूरा न होता । मैं यह चाहता हूं ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : इजराइल द्वारा फिलिस्तीनो टैंकों पर बमबारी की घटना पर सरकार मौन क्यों है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए किसी भी कृत्य पर हम मौन नहीं है । हम किसी बात पर कभी भी मौन नहीं रहे (**व्यवधान**)

मैं वास्तव में नहीं जानता । प्राय: प्रत्येक देश के उन देशों को छोड़कर, जिनके साथ विवाद है, लगभग सभी देशों ने ऐसा ही किया है क्योंकि वह इसमें भूमिका निभाना चाहते थे । आगामी वर्षों में मध्य-पूर्व क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मंच होगा जिसमें कि हर देश की भूमिका काफी नाजुक होगी । हमें इन मामलों में थोड़ी दूरदृष्टि रखनी होगी । हमने इसे अस्थायी रूप से लिया है । किन्तु इसके साथ ही हमने उचित कार्य किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो किया है वह सही है ।

जिन मुद्दों को उठाया गया था उन सभी का मैंने उल्लेख किया है । कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु उन्हें रखा गया है । मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता । मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यह प्रश्न, यह नारा जो उठाया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को कोई खतरा है, या कोई संकट है ।

मैं अपनी पूरी शक्ति से, पूरे बल से इसका खण्डन करूंगा और इस पर मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं । हमने जो किया है वह उचित है ।

मैं विद्यार्थियों को संबोधित करता रहा हूं । मैं नवयुवकों को संबोधित करता रहा हूं, मैं लाखों की संख्या में ग्रामीणों का संबोधित करता रहा हूं और मैं पाता हूं कि जब उन्हें बताया जाता है कि लाइसेंस-परमिट राज समाप्त हो रहा है । समाप्त हो गया है । आपको उनसे जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है वह जबर्दस्त होती है ।

हां, एक परिवर्तन है । हमारे साधनों में परिवर्तन हुआ है पर उद्देश्य में नहीं । मैं इसे पूर्णत: स्पष्ट करना चाहता हूं । उद्देश्य वही है । मैं उस उद्देश्य को पुराने तरीकों से पूरा नहीं कर सकता । मुझे तरीके बदलने होंगे । संपूर्ण विश्व बदल गया है।। सभी देश बदल गए हैं । इस बात में कोई औचित्य नहीं है कि भारत नहीं बदलेगा । जबकि हम कल तक जो उद्देश्य कुछ अन्य साधनों से प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए आज अलग साधनों की जरूरत है । हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह व्यावहारिक है, उद्देश्य बिना बदले और उद्देश्य छोड़े बिना । हमने इस पर विस्तार से विचार किया है कि क्या इसका कोई विकल्प था ।

श्री वसुदेव आचार्य : विकल्प था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं था। मैं इस पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं सदन में एक विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ संशोधन के लिए है। यह एक बहुत मामूली-सी बात है। इस पर चर्चा करें। भारत के सामने क्या विकल्प थे? आज भारत के सामने क्या विकल्प हैं? आठ महीने पूर्व की बात छोड़िये। आज भारत के पास क्या विकल्प हैं? मैं खुले विचार रखूंगा। मुझे विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वह उचित है। यदि कोई इस सदन को, अथवा मुझे विश्वास दिला सकता है कि आज के विश्व में इसी के समान लाभप्रद। समान प्रभावकारी एक और अन्य मार्ग है, तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। किन्तु मैं बार-बार कहूंगा कि मैंने जो किया है वह उचित है और इसी विश्वास ने इस कार्यक्रम पर आगे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरणा दी है? मैं राष्ट्रीय सर्वसम्मति चाहता हूं। जो पहले से ही है। एक मत का अर्थ सर्वसम्मति नहीं होता। मैं यही कह सकता हूं कि एकमत का अर्थ है वी० पी० सिंह के अलावा सर्वसम्मति श्री चटर्जी के अलावा सर्वसम्मति कुछ व्यक्तियों के अलावा सर्वसम्मति ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सी० पी० आई (एम०) में मेरे मित्रों को आपत्ति है। मैं यह जानता हूं। किन्तु इसके बावजूद मुझे यह कहना होगा कि हमने जो सुधार का यह नया कार्यक्रम बनाया है और जो मार्ग चुना है उसके पीछे इस देश की जनसंख्या के एक बहुमत का समर्थन एक चट्टान की भांति खड़ा है। यह ऐसे ही होगा और हम इसका पालन करेंगे। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मंडल आयोग के विषय में आप क्या कहेंगे? प्रधान मन्त्री जी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कई संशोधन के प्रस्ताव आए हैं। क्या मैं इन सभी संशोधनों को सदन में मतदान के लिए एक साथ रख दूं? और क्या कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन को अलग प्रस्तुत करना चाहते हैं? (श्री धूमल)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी अमेंडमेंट नम्बर 1 जोकि अनएम्प्लायमेंट पर है और अमेंडमेंट नम्बर 4 जो प्राइस राइस पर है, उस पर डिविजन की डिमांड करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं निम्नलिखित संशोधन संख्याओं पर मत विभाजन चाहता हूं : 881, 780 और 790

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित संशोधनों पर मत विभाजन कराया जाए।

387 बेरोजगारी से सम्बन्धित

620 नई औद्योगिक नीति से सम्बन्धित

628 उन शर्तों से सम्बन्धित, जो आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित करती हैं।